विवरण

पोलिटेक्निकों की संख्या और उनकी प्रवेश क्षमता के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	फार्मेसी सहित पालिटेक्निकों की संख्या	प्रवेश संख्या
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	93	12,490
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	180
3.	असम	11	1,405
4.	बिहार	35	4,244
5.	गोवा	6	685
6.	गुजरात	43	7,235
7.	हरियाणा	36	4,575
8.	हिमाचल प्रदेश	10	690
9.	जम्मू और काश्मीर	18	2,824
10.	कर्नाटक	269	35,164
11.	केरल	60	7,043
12.	मध्य प्रदेश	54	7,243
13.	महाराष्ट्र	223	32,360
14.	मणिपुर	3	220
15.	मेघालय	1	150
16.	मिजोरम	1	110
17.	नागालैण्ड	1	90
18.	उड़ीसा	38	2,714
19.	पंजाब	57	6,586
20.	राजस्थान	38	3,118
21.	सिक्किम	1	60
22.	तमिलनाडु	154	29,849
23.	त्रिपुरा	2	165
24.	उत्तर प्रदेश	133	14,690
25.	पश्चिम बंगाल	46	5,520
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	2	150
27.	चंडीगढ़	4	560
28.	दादर व नगर हवेली	—	—
29.	दमन और द्वीव	1	90
30.	दिल्ली	33	4,856
31.	लक्षद्वीप	—	—
32.	पांडिचेरी	5	634
	जोड़	1,379	1,84,700

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसंधान केन्द्र

1231. **श्री राम देव भंडारी:** क्या कृषि मंत्री 12 मई, 1995 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 5646 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश में स्थापित किए गए अनुसंधान केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अयूब खान): दिनांक 12.5.1995 को राज्य सभा के जिस प्रश्न का उत्तर दिया गया था, उसके संदर्भ में केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [देखिए परिशिष्ट 175, अनुपत्र संख्या 31]

पशुपालन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं

1232. **श्री गोपालसिंह जी॰ सोलंकी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पशुपालन के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 1994-95 के लिए प्रत्येक योजना हेतु तय किए गए लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्र के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम): (क) पशुपालन एवं डेयरी एक राज्य का विषय है। तथापि, पशुपालन के विकास के लिए उनके प्रयासों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पशुपालन एवं डेयरी विभाग विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/केन्द्र राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रहा है। इन योजनाओं की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) इन योजनाओं का उद्देश्य देश में दूध, अण्डा तथा ऊन जैसे प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना है। वर्ष 1994-95 के लिए इन उत्पादों के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं जिनके प्राप्त हो जाने की संभावना है।

1994-95 के लिए लक्ष्य

1. दुग्ध उत्पादन (मिलियन टन) 63.5
2. अण्डा उत्पादन (बिलियन में) 26.1
3. ऊन उत्पादन (मिलियन कि॰ग्रा॰) 43.6

(ग) तथा (घ) जिलेवार/क्षेत्रवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं।

विवरण

पशुपालन एवं डेयरी योजनाओं की सूची

क. पशुपालन

केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं

1. हिमित वीर्य प्रौद्योगिकी तथा संतति परीक्षण केन्द्र का विस्तार।

2. आहार तथा चारा विकास के लिए राज्यों को सहायता।

3. राष्ट्रीय पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना।

4. पशु रोग नियंत्रण के लिए राज्यों को सहायता।

5. व्यावसायिक दक्षता विकास।

6. बूचड़खानों/पशु शव उपयोग केन्द्रों तथा प्राथमिक निस्चयन एककों के सुधार/स्थापना/आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को सहायता।

7. प्रमुख पशुधन उत्पादों के उत्पादन का अनुमान लगाने के लिए एकीकृत नमूना सर्वेक्षण।

8. राष्ट्रीय सांड उत्पादन कार्यक्रम।

9. राष्ट्रीय मेढ़ा/मृग उत्पादन कार्यक्रम तथा खरगोश विकास कार्यक्रम।

10. भारवाही पशुओं का विकास।

11. एकीकृत सूअर विकास के लिए राज्यों को सहायता।

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

12. पशुपालन विस्तार कार्यक्रम।

ख. डेयरी विकास

केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं

1. उत्तरी केरल में स्विस सहायता प्राप्त डेयरी विकास परियोजना

केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं

2. गैर-ऑपरेशन फ्लड, पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में एकीकृत डेयरी विकास परियोजना।

विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उदार खनन नीति

1233. **श्री अजीत जोगी:** क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खनिज संसाधनों के दोहन हेतु विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए खनन नीति को उदार बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गैर-सरकारी पूंजी निवेशकों/विदेशी पूंजी निवेशकों/अनिवासी भारतीयों की ओर से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और मंजूर की गई और कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई प्रमुख परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान खनिजों का खनिज-वार कितना उत्पादन किया गया और गत दो वर्षों के दौरान इनके उत्पादन की तुलना में इनका उत्पादन कितना रहा; और

(ङ) इस समय जिन खनन परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है, उनमें कितनी प्रगति हुई है और इसका उत्पादन और रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधर गमंग): (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के अनुपालन में उच्च मूल्य और दुर्लभ खनिजों के गवेषण और खनन में विदेशी सहभागिता के प्रवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। भारतीय कम्पनियों द्वारा प्रोत्साहित खनन के संयुक्त उद्यमों में विदेशी इक्विटी निवेश प्रोत्साहित किया जाएगा।

(ग) और (ङ) केन्द्र सरकार विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मंजूर किए जाने वाले प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस और खनन पट्टों की मंजूरी के लिए प्रस्तावों अथवा उनकी प्रगति की मानीटरिंग का रिकार्ड नहीं रखती है।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान खनिजों का खनिजवार उत्पादन और पिछले दो वर्षों के दौरान खनिजों का खनिजवार तुलनात्मक उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। [**देखिए** परिशिष्ट 175, अनुपत्र संख्या 32]